न्यायालय- वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01, मेरठ।

निष्पादन वाद संख्या 75/2023

अजय चौधरी प्रति स्टे आफ यू.पी. और अन्य

दिनांकः 22-07-2026

पत्रावली पेश हुई। डिक्रीदार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। निर्णीतऋणीगण अनुपस्थित।

डिक्रीदार द्वारा प्रार्थना पत्र 23ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि निर्णीऋणीगण न्यायालय द्वारा विभिन्न आदेश पारित किये जाने के उपरान्त भी डिक्रीत धनराशि का भुगतान नहीं कर रहे है। अतः डिक्रीदार द्वारा निर्णीतऋणी के कार्यालय को कुर्क करने की प्रार्थना की गई है।

सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि डिक्रीदार द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र 12ग प्रस्तुत कर निर्णीतऋणी के खाते को कुर्क करने की प्रार्थना की गई थी जिस पर न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर निर्णीतऋणी के खाते को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया था।

उसके उपरान्त दिनांक 04-06-2026 को अधिशासी अभियन्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र 22ग प्रस्तुत कर यह अवगत कराया गया कि डिक्रीदार को भुगतान के लिए विभाग के शीर्ष अधिकारी को दिनांक 13-03-2026 को पत्र लिखा जा चुका है। उक्त मामले की गम्भीरता से लेते हुए विभाग के विभिन्न कार्यरूपों के उपरान्त शासन की संस्तुति के उपरान्त विभाग को धन आवंटित करने के उपरान्त धन का भुगतान हो पाना संभव है, लेकिन आज तक भी निर्णीतऋणी द्वारा डिक्रीदार की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में डिक्रीदार द्वारा प्रार्थना पत्र 23ग में प्रस्तुत निर्णीतऋणी की सम्पत्ति की कुर्की हेतु अमीन को नियमानुसार परवाना जारी हो। इस निमित डिक्रीदार आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करें।

पत्रावली दिनांक 18-08-2026 को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी

वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 1, मेरठ।

Digitally signed by Kshitij Kumar Srivastava
Date: 2026.07.22 16:14:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court